



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34445

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद**

**रिट - ए संख्या - 2298 वर्ष 2026**

रामगोविंद और 34 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मिर्जा फहीम बेग

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्जा फहीम बेग, तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्तागण, जो यद्यपि वर्तमान में उप-निरीक्षक/मुख्य आरक्षी के रूप में कार्यरत हैं, अपनी प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि को ध्यान में रखते हुए, 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि के लाभ का दावा करते हैं।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, **घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट - ए संख्या 44330/2012** के निर्णय तथा **दिनेश कुमार शुक्ला व 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य, रिट - ए संख्या 6429/2018** के मामले के आलोक में, उनके दावे पर विचार किया जाना उचित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस संबंध में अंतर-न्यायालय अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है और अब विधि (कानून) पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विद्वान् स्थायी अधिवक्ता ने उपर्युक्त विधिक स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बशर्ते याचिकाकर्तागण 'आरक्षी' के रूप में 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही अतिरिक्त वेतन-वृद्धि की मांग कर रहे हों।

5. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि, प्रत्यर्थी संख्या 3—पुलिस उप-महानिरीक्षक (अधिष्ठान), पुलिस मुख्यालय, लखनऊ—याचिकाकर्ताओं के दावे पर यथाशीघ्र, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विचार कर निर्णय पारित करें।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है, पारित किया जाने वाला आदेश तर्कसंगत एवं सकारण होना चाहिए।

17 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”